

# DEPARTMENT OF LANDS AND FARMING

## KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A+" Grade NAAC Accredited)

### नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ट्रैक्टर फोर्ड 3620 मॉडल 1994 की नीलामी 22/08/2023 सुबह 10:00 बजे फार्म हाउस, विश्वविद्यालय परिसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता मौके पर पहुंचकर बोली लगाएं। ट्रैक्टर का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जा सकता है। बोली के नियम, शर्तें व कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट: [www.kuk.ac.in](http://www.kuk.ac.in) पर उपलब्ध है। बोली से सम्बंधित जानकारी भूमि एवं कृषि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से भी प्राप्त की जा सकती है।

#### बोली की शर्तें :

1. बोली के समय पर केवल बोली दाता को ही प्रवेश दिया जाएगा।
2. केवल उन्हीं बोलीदाताओं को सुरक्षा/अग्रिम राशी जमा करने की अनुमति होगी जो नीलामी के दौरान अपना कोई एक पहचान प्रमाण यानी परिवार पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आदि में से कोई एक की प्रति जमा करेगा।
3. बोलीदाता को बोली शुरू होने से पहले मौके पर 10,000/- रुपये सुरक्षा/अग्रिम राशी जमा करवानी होगी।
4. बोली शुरू होने के बाद कोई भी बोलीदाता कमरे से बाहर नहीं जाएगा। जब तक बोली समाप्त नहीं हो जाएगी। अगर कोई बोलीदाता बाहर जाएगा तो उसको बोली देने का अधिकार नहीं होगा।
5. अगर कोई बोलीदाता बोली के समय में एक दूसरे से झगड़ा या मारपीट, गाली-गलोच आदि करेगा तो, उसकी सिक्क्योरिटी जपत कर ली जाएगी और उसको बोली से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसे बोलीदाता को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।
6. किसी भी बोलीदाता या अन्य को बोली के समय में किसी भी तरह का हथियार लाने का अधिकार नहीं होगा, अगर किसी के पास हथियार होगा तो उसको बोली से पहले KUK थाने में जमा करवाना होगा।
7. असफल बोलीदाताओं की 10,000/- रुपये की अग्रिम राशि उसी समय वापस कर दी जायेगी।
8. आपको उच्चतम बोली राशि जमा करने के साथ-साथ कुल बोली राशि पर कर (टैक्स) का अलग से भुगतान करना होगा।
9. कर (टैक्स) हरियाणा सरकार / भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा।
10. सफल बोली दाता को बोली की पूरी रकम उसी समय जमा करवानी होगी।
11. यदि अन्य कोई शर्त होगी तो वह बोली के समय सुना दी जाएगी।
12. माननीय कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को पूर्ण अधिकार होगा, कि वह किन्हीं कारणों से अत्याधिक बोली को भी रद्द कर सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु श्री सुखबीर सिंह (फार्म सुपरवाइजर) 098134-24742 से सम्पर्क करें।

प्रभारी अधिकारी (भूमि एवं कृषि विभाग)

पु. क्र. : एल.एण्ड./2023/नीलामी/ 816-870 दिनांक: 09-08-2023

प्रतिलिपि प्रेषित : 1 एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, बीडीओ तथा सचिव, नगरपालिका, थानेसर।

2 डिप्टी कमिश्नर व पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र।

3 सभी ट्रैक्टर रेपरिंग, वर्कशॉप, डीलर कुरुक्षेत्र।

4. एक प्रति निजि सचिव, कुलपति महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है।

5. एक प्रति अधीक्षक, दफ्तर कुल सचिव, कुल सचिव महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है।

प्रभारी अधिकारी (भूमि एवं कृषि विभाग)